रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1297] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2006/कार्तिक 8, 1928

No. 1297] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2006/KARTIKA 8, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2006

आय-कर

का.आ. 1856(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) और खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 5ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत, प्ररूप और रीति ।"

5ग. (1) (i) किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप सं. 3गच-1 में दो प्रतियों में;

(ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप सं. 3गच-2 में दो प्रतियों में

उस निर्धारण वर्ष के जिससे अनुमोदन की मांग की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को, जिसे आवेदक पर अधिकारिता है, किया जाएगा ।

(2) यदि संगम आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) के अधीन छूट का दावा करता है तो आवेदन के उपाबंध प्ररूप सं. 3गच-1 भरा जाएगा ।

(3) आवेदक, यथास्थिति, प्ररूप सं. 3गच-1 या प्ररूप सं. 3गच-2 में आवेदन की एक प्रति सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अभिस्वीकृति प्राप्ति के साथ इस साक्ष्य के रूप में भेजेगा कि उसने आवेदन प्ररूप दो प्रतियों में आय-कर आयुक्त या उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर निदेशक के कार्यालय में भेज दिया है ।

(4) एक वर्ष की अवधि, जैसा कि धारा 35 की उपधारा (1) के चौथे परंतुक में विनिर्दिष्ट है, जिसकी समाप्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है या आवेदन अस्वीकार किया जाना है, की संगणना उस मास के अंत से की जाएगी जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदक से आवेदन प्ररूप सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त होता है ।

(5) यदि प्ररूप सं. 3गच-1 में या प्ररूप सं. 3गच-2 में आवेदन में कोई त्रुटि दिखाई देती है या यदि कोई सुसंगत दस्तावेज उसके साथ संलग्न नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक आवेदक पर उसके कार्यालय में आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से एक मास की समाप्ति से पूर्व कमी दर्शित करने वाला पत्र तामील करेगा ।

(6) आवेदक त्रुटि बताने वाले पत्र की तामील की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर बढ़ायी जाए, त्रुटि को दूर करेगा लेकिन फिर भी त्रुटि को दूर करने के लिए कुल अवधि तीस दिन से अधिक की नहीं होगी और यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात तीस दिन की अवधि के भीतर उस त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन को अविधिमान्य मानने के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा ।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है तो वह आवेदन को अविधिमान्य मानते हुए आदेश पारित कर सकेगी ।

(8) यदि आवेदन प्ररूप सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक ऐसी जांच कर सकेगा जिसे वह संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के संबंध में आवश्यक समझे और अपनी सिफारिश तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन के अनुमोदन या उसकी खारिजी के लिए सदस्य (आय-कर) को भेजेगा । उक्त अवधि की संगणना उस मास के अंत से की जाएगी जिसमें आवेदन प्ररूप उसके कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

(9) केन्द्रीय सरकार खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व आवेदक से ऐसे दस्तावेज या जानकारी की मांग करेगी जिसे वह आवश्यक समझे और आवेदक के क्रियाकलापों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए कोई जांच करा सकेगी ।

(10) केन्द्रीय सरकार, धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुमोदन प्रदान करते हुए राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी या उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को खारिज कर सकेगी ।

(11) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्थान ने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं अथवा उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं अथवा नियम 5घ या नियम 5ङ के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अधीन नहीं चलाए जा रहे हैं तो धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन को वापस ले सकेगी ।

(12) आवेदन को अविधिमान्य मानने वाला या आवेदन को खारिज करने वाला या अनुमोदन को वापस लेने वाला कोई आदेश वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(13) अविधिमान्य करने वाले आदेश, आवेदन को खारिज करने वाले आदेश या अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की प्रति, यथास्थिति, आवेदक, सहायक अधिकारी और आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को संसूचित की जाएगी ।

वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम को धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

5घ. (1) आवेदक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा ।

(2) आवेदक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलाप करेगा ।

(3) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन चाहने वाला वैज्ञानिक अनुसंधान संगम लेखा बहियां रखेगा और ऐसी बहियों की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित अकाउंटेंट द्वारा कराएगा तथा मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को ऐसे अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी देने की सम्यक् तारीख तक भेजेगा ।

(4) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम प्राप्त संदानों का और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोजित की गई रकम का पृथक ब्यौरा रखेगा और ऐसे ब्यौरे की संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ भेजेगा ।

(5) यदि आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान संगम,-

(क) लेखा बहियां नहीं रख रहा है, या

(ख) अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट देने में असफल रहा है, या

(ग) उसने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धनराशि और उपयोजित धनराशि का अपना ब्यौरा नहीं दिया है, या

(घ) उसने अपने अनुसंधान क्रियाकलाप करना बंद कर दिया है या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है, या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन रहते हुए उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

तो वह पर्याप्त पूछताछ करने के पश्चात् ऊपर खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर देगा ।

वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

5ङ. (1) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को संदत्त धनराशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और समाजविज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए किया जाएगा ।

(2) आवेदक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अपने संकाय सदस्यों या अपने नामावलित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, समाजविज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करेगा ।

(3) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या समाजविज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए उसे प्राप्त धनराशियों की बाबत पृथक लेखा बहियां रखेगा और उनमें अनुसंधान करने में प्रयुक्त रकम को दर्शित करेगा, किसी अकाउंटेंट से, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित है, ऐसी लेखा बहियों की संपरीक्षा कराएगा तथा मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को ऐसे अकाउंटेंट द्वारा ऐसी संपरीक्षा की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख तक देगा ।

(4) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था प्राप्त संदानों और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकम का पृथक ब्यौरा रखेगी तथा संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे ब्यौरे की प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ देगी ।

(5) यदि आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था,-

(क) अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए पृथक लेखा बहियां नहीं रख रहा है, या

(ख) अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट देने में असफल रहा है, या

(ग) उसने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धनराशि और उपयोजित धनराशि का अपना ब्यौरा नहीं दिया है, या

(घ) उसने अपने अनुसंधान क्रियाकलाप करना बंद कर दिया है या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं, या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन रहते हुए उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

तो वह पर्याप्त पूछताछ करने के पश्चात् ऊपर खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर देगा ।" ।

(ख) नियम 6 में, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 3गच के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप सं0 - 3गच-1

(नियम 5ग और 5घ देखें)

वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के मामले में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन के लिए प्ररूप

1. (i) संगम के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता

   (ii) न्यास विलेख/रजिस्ट्रेशन विलेख/संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद की एक प्रति संलग्न करें, और यदि संगम पहले ही अनुमोदित है तो नवीनतम अधिसूचना का अनुमोदन संख्यांक और तारीख लिखें [कृपया एक प्रति संलग्न करें]

   (iii) यदि अनुमोदन पूर्व में वापस ले लिया गया हो तो वे कारण वर्णित करें जिनकी वजह से अनुमोदन वापस लिया गया था [अनुमोदन/अनुमोदनों को वापस लेने वाले आदेश/आदेशों की एक प्रति संलग्न करें]

   (iv) वह तारीख जिससे अनुमोदन चाहा गया है ।

2. संगम की विधिक प्रास्थिति :

   क्या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या कंपनी या अन्य ।

   (रजिस्ट्रीकरण/निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

3. वैज्ञानिक अनुसंधान संगम का उद्देश्य

4. (i) संगम की अनुसंधान प्रयोगशाला का पता (पते)

   (ii) स्थापना का वर्ष

   (iii) प्रयोगशाला/अनुसंधान प्रसुविधा के प्रभारी संगम के अधिकारी का नाम और पता

   (iv) संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्रियाकलाप में लगे हुए कर्मचारियों की कुल संख्या

5. संगम द्वारा स्वामित्व वाली अनुसंधान प्रसुविधाओं और आस्तियों की सूची :

   (i) प्लांट और मशीनरी

   (ii) भूमि और भवन, अर्जन की लागत सहित

   (iii) कोई अन्य अनुसंधान प्रसुविधा/आस्ति, अर्जन की लागत सहित

6. संगम के चलाए जा रहे अनुसंधान विषय और परियोजनाएं :

   (i) संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ण की गई अनुसंधान परियोजनाएं, यदि कोई हों

(ii) अनुसंधान परियोजनाएं, जो इस वर्ष के दौरान चलाई गई हों, और अनुसंधान परियोजनाएं जो पिछले वर्षों से चल रही हों

(iii) किसी प्रख्यात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान लेख

7. वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अन्य विवरण :

(i) विकसित नए उत्पाद, प्रक्रियाएं, विधियां और तकनीकें ।

(ii) विद्यमान उत्पादों, प्रक्रियाओं, विधियों, तकनीकों में सुधार

(iii) आयात प्रतिस्थापन के उत्पाद

(iv) फाइल किए गए, अभिप्राप्त पेटेंट, यदि कोई हों, और यदि ऐसा हो, तो किसके नाम पर ?

(v) क्या उपर्युक्त (i) पर वर्णित उत्पाद, प्रक्रियाएं, विधियां और तकनीकें वाणिज्यीकृत या लागू की गई हैं और यदि ऐसा हो तो किसके द्वारा ?

(vi) पेटेंट और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह से आय, यदि कोई हो ।

8. संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित संगोष्ठी, समामेलन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि, के ब्यौरे, और अनुसंधान क्षेत्र या संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्षेत्र या क्रियाकलाप के ऐसे विनियमों की सुसंगतता के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पण संलग्न करें ।

9. भविष्य में अनुसंधान के लिए अनुध्यात कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों पर संभाव्य व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय परियोजनाएं ।

10. (i) संगम की आय के स्रोत (पिछले तीन वर्षों के लिए)

(ii) निर्धारण विशिष्टियां इंगित करें :

(पी.ए.एन., वार्ड/सर्किल, यदि कर का निर्धारण हो)

(iii) अंतिम आय विवरणी कब प्रस्तुत की गई थी ?

11. पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा प्राप्त की गई और अनुसंधान के लिए वास्तविक रूप से प्रयुक्त रकम :

वर्ष	प्राप्त रकम			स्तंभ (2) की रकमों में से अनुसंधान के लिए वास्तविक रूप से उपयोग की गई रकम
(1)	(2)			(3)
	दान	अनुदान	कुल	

12. पिछले तीन वर्षों के दौरान दाताओं का नाम, पूर्ण डाक का पता, और उनमें से प्रत्येक द्वारा संगम को संदत्त रकमों का हवाला देते हुए दाताओं की सूची संलग्न करें । (पचास हजार रुपए से अधिक की रकम का संदाय करने वाले दाताओं का पी.ए.एन. वर्णित करें)

13. पिछले तीन वर्षों की संगम के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की प्रति संलग्न करें ।

14. उपर्युक्त मद 10 में वर्णित वर्ष के दौरान अनुसंधान के लिए उपयोग नहीं की गई रकमों में से किए गए निवेश :

(i) बैंकों में सावधि जमा

(ii) कंपनियों में सावधि जमा

(iii) सरकारी प्रतिभूतियां

(iv) शेयर, डिबैंचर आदि

(v) हाथ नकदी

(vi) (i) से लेकर (v) तक में न आने वाले अन्य, यदि कोई हों

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य है ।

स्थान...........

तारीख.........

हस्ताक्षर............

पदनाम.............

पता...............

उपाबंध

धारा 10(2) के अधीन छूट का दावा करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए

वित्तीय वर्ष...............

1. वर्ष के दौरान प्राप्त स्वेच्छिक अभिदायों सहित संगम की कुल आय ।

2. ऊपर मद 2 में निर्दिष्ट आय की रकम जो संगम के उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपयोग की गई या की गई समझी गई है ।

3. संगम के उद्देश्यों के लिए संचित रकम ।

4. (i) ऐसे निवेशों या निक्षेपों की प्रकृति, उनका मूल्य और उनसे आय दर्शित करते हुए उन तरीकों का वर्णन कीजिए जिनमें संगम की निधियों का निवेश या निक्षेप किया जाता है ।

   (ii) धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट तरीकों में निवेश नहीं की गई निधियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	समुत्थान का नाम और पता	कंपनी के मामले में धारित शेयरों की संख्या और वर्ग	निवेश का अंकित मूल्य	निवेश से आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

5. (i) क्या संगम कोई कारबार कर रहा है (ब्यौरा दें)

   (ii) क्या कारबार इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुषंगी है

   (iii) क्या ऐसे कारबार के संबंध में पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं ?

6. अभिदायों की प्रकृति, मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा (नकदी से भिन्न और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय उपयोग किए गए है)

7. संगम द्वारा या उसकी ओर से निम्नलिखित से क्रय किए गए शेयरों, प्रतिभूति और अन्य संपत्ति का ब्यौरा :

(i) संगम का संप्रवर्तक,

(ii) संगम को एक लाख रुपए से अधिक का अभिदाय करने वाला कोई व्यक्ति,

(iii) जहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब संप्रवर्तक है, वहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य,

(iv) संगम का प्रबंधक (जिस नाम से भी पुकारा जाए)

(v) संप्रवर्तक, सदस्य या प्रबंधक का नातेदार,

(vi) कोई समुत्थान जिसमें उपमद (i) से (v) तक में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति सारवान हित रखता है ।

8. क्या संगम की आय का कोई भाग या उसकी कोई संपत्ति का ऐसी रीति में उपयोग या उपयोजन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई लाभ, सुविधा, परिलब्धि प्राप्त हुई है । यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा ।

9. धारा 10(21) के पहले परंतुक को लागू करने से धारा 11(3) के कारण संगम की आय समझी गई रकम ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य है ।

स्थान...........

तारीख.........

हस्ताक्षर............

पदनाम.............

पूरा पता...............

3454 GI/06-3

प्ररूप सं. 3गच-2

[नियम 5ग और 5ङ देखें]

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप

1. (i) आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता

(ii) न्यास विलेख/ रजिस्ट्रीकरण विलेख और संगम ज्ञापन और अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें और यदि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था पहले ही अनुमोदित है तो नवीनतम अधिसूचना की संख्या और अधिसूचना की तारीख दें ।

[कृपया प्रति संलग्न करें]

(iii) यदि पूर्व में अनुमोदन वापस लिया गया था तो उन कारणों को उल्लिखित करें जिनके कारण अनुमोदन वापस लिया गया था । [अनुमोदम/अनुमोदनों को वापस लेने के आदेश/ आदेशों की प्रति संलग्न करें]

(iv) वह तारीख जिससे अनुमोदन चाहा गया है ।

2. आवेदक की विधिक प्रास्थिति : क्या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या कंपनी या अन्य । (रजिस्ट्रीकरण/निगमीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

3. (i) आवेदक की अनुसंधान प्रयोगशाला/अनुसंधान प्रसुविधा का पता(पते)

(ii) स्थापना की तारीख

(iii) प्रयोगशाला/अनुसंधान प्रसुविधा के भार-साधक अधिकारी का नाम और पता ।

(iv) वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकी अनुसंधान में लगे हुए कर्मचारियों की कुल संख्या ।

4. आवेदक द्वारा अर्जित अनुसंधान प्रसुविधाओं या आस्तियों की सूची :

(i) प्लांट और मशीनरी

(ii) भूमि और भवन, अर्जन की लागत सहित

(iii) कोई अन्य अनुसंधान प्रसुविधा/आस्ति, अर्जन की लागत सहित

5. आवेदक द्वारा हाथ में लिए गए अनुसंधान विषय और परियोजना

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठन द्वारा पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं, यदि कोई हों ।

(ii) अनुसंधान परियोजनाएं जिनपर वर्ष के दौरान कार्य किया गया और अनुसंधान परियोजनाएं जो पिछले वर्षों से चल रही है ।

(iii) किसी प्रख्यात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान लेख ।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के ब्यौरे :

(i) विकसित नए उत्पाद, प्रक्रिया, पद्धति, तकनीक

(ii) विद्यमान उत्पादों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, तकनीकों में सुधार

(iii) आयात प्रतिस्थापन

(iv)फाइल किए गए, अभिप्राप्त, पेटेंट यदि कोई हों और यदि हैं तो किसके नाम में ?

(v) उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट उत्पाद, प्रक्रियाएं पद्धतियां और तकनीक वाणिज्यीकृत या क्रियान्वित हैं ? और यदि है तो किसके द्वारा ?

(vi) विकसित नए सिद्धान्त/मॉडल

(vii) नई परिकल्पनाएं जिन्हें वृहद रूप से स्वीकार किया गया है ।

(viii) आवेदित/अभिप्राप्त कोई प्रतिलिप्यधिकार

(ix) पेटेन्ट या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से उपार्जन, यदि कोई हैं ।

7. पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा संचालित सेमिनारों, गोष्ठियों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों इत्यादि के ब्यौरे और आवेदक द्वारा अनुसंधान क्षेत्र या किए गए क्रियाकलापों के लिए ऐसे आदान प्रदानों की सुसंगतता के संबंध में संक्षिप्त टिप्पण संलग्न करें ।

8. भविष्य में अनुसंधान के लिए अनुध्यात कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों पर होने वाले संभावित व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय परियोजना :

9. (i) आवेदक के आय के स्रोत (पिछले तीन साल के दौरान)

(ii) निर्धारण विशिष्टियां उपदर्शित करें :

(पीएएन, वार्ड/सर्किल यदि कर के लिए निर्धारित है)

(iii) आय का अंतिम विवरणी कब दी गई थी ?

10. पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्राप्त और इनके द्वारा या इनके संकाय सदस्यों या अभ्यावेशित विद्यार्थियों द्वारा संचालित अनुसंधान के लिए वास्तव में उपयोजित रकम :

वर्ष	प्राप्त रकम			स्तंभ (2) की रकम में से अनुसंधान के लिए वास्तविक रूप में उपयोग की गई रकम
(1)	(2)			(3)
	दान	अनुदान	कुल	

11. दानदाताओं की सूची संलग्न करें जिसमें उनके नाम, पूरे डाक के पते और उनमें से प्रत्येक के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संदत्त रकम दर्शित की जाए (पचास हजार रूपए से अधिक रकम देने वाले दानदाताओं का पीएएन वर्णित करें)

12. उपरोक्त 10 में निर्दिष्ट रकमों में से किया गया निवेश

(i) बैंक में सावधि जमा

(ii) कंपनी में सावधि जमा

(iii) प्रतिभूति

(iv) अंश, डिबेंचर, आदि

(v) हाथ नकदी

(vi) अन्य, यदि कोई है, जो (i) से (v) के अधीन नहीं आते ।

13. अंतिम तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्था की संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रति संलग्न करें ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान................ ....
तारीख............. हस्ताक्षर
पदाभिधान
पूरा पता

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं. 309/2006/फा.सं. 142/35/2006-टीपीएल]

डी. पी. सेमवाल, निदेशक (टीपीएल-3)

टिप्पण :– मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनमें अंतिम संशोधन आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 1796(अ), तारीख 19-10-2006 द्वारा किया गया ।